न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00020

शक्ति सिंह आत्मज व0 श्योराम जाति नायक निवासी ग्राम रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मृतक रामचन्द्र आत्मज श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये कायममुकामान छीतर लाल आत्मज स्व0 श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री फूंदा जाति नायक निवासी देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रामावतार पुत्र श्री राधा किशन जाति बैरवा निवासी सब्जीमण्डी नयापुरा कोटा ।
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राधाकिशन जाति बैरवा निवासी सब्जीमण्डी नयापुरा कोटा ।
5. पिण्टू पुत्र श्री बाबूलाल जाति मेघवंशी निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. मुंशी पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी नयापुरा कोटा ।
7. श्रीमती मंजू नायक पत्नी श्री महावीर प्रसाद जाति नायक निवासी वार्ड नं0 44 काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. छीतर लाल वर्मा आत्मज श्री रत्तीलाल जाति कोली निवासी मकान नं0 485 सिंगोदिया भवन, नई ढाणी शांति नगर हसनपुरा एनपीसी के सामने जयपुर ।
9. कुंजी लाल आत्मज रामचन्द्र जाति जाटव निवासी मकान नं0 1–सी–13 संजय गांधी नगर विज्ञान नगर, कोटा ।
10. रामनाथ पुत्री उदा जाति बैरवा निवासी ग्राम मानुपरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट (मृतक) रामचन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम देवली अबर तहसील लाडपुरा की आराजी कुल 08 किता की रकबा 3.85 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में उसका 8/47 अविभाजित हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाकर वादी को उसके 8/47 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का कथन किया ।

3. तत्पश्चात् वादी रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने पर छीतर लाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् बनाये जाने कायममुकामान का पेश कर कथन किया कि मृतक रामचन्द्र जी ने दिनांक 14.05.2016 को एक वसीयत प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दी थी । प्रार्थी वादी का पुत्र है एवं एकमात्र उत्तराधिकारी है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को मृतक रामचन्द्र का कायममुकामान बनाया जाकर रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

4. अपीलान्ट एवं प्रतिवादी क्रम 07 ने इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उक्त वसीयत को कूटरचित एवं फर्जी होना कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् कायममुकामान बनाये जाने का खारिज करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् छीतर लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् वाद को एज विड्रोन खारिज किये जाने बाबत् पेश किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.10.2019 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए छीतर लाल को मृतक रामचन्द्र का कायममुकाम बनाया व दावा वादी एज विड्रोन खारिज किये जाने का आदेश पारित किया ।

7. तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.2019 के द्वारा धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण को रिव्यू करते हुए वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 07 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2019 निरस्त कर अपील अपीलान्ट स्वीक़ार की जावे।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.2019 से

पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2019 को बिना पक्षकारों को नोटिस दिये स्वतः ही धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निरस्त करके त्रुटि की है । अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारों को सूचना दिये बिना निर्णय पारित किया गया है । न्यायालय को स्वतः ही रिव्यू की शक्तियॉ प्राप्त नहीं हैं । विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । रिव्यू का बहुत सीमित स्कोप होता है । कोई भूल या गलती अभिलेख में देखने से प्रकट होती हो तो उसे दुरूस्त किया जा सकता है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने स्वेच्छा से अपने दावे को विड्रो किया है । कायममुकाम को रिकॉर्ड पर लिया जा चुका है । उनके पक्ष में फौती इंतकाल भी तस्दीक किया जा चुका है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2019 निरस्त फरमाया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1979 पेज 118 उद्धरत की ।

11. एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के द्वारा पेश किया गया है और उसमें यह कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने दावे को एज विड्रोन खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसको स्वीकार करते हुए दावा एज विड्रोन खारिज किया गया था । उसके बाद पक्षकारों को सूचना दिये बिना इसको पुनः नम्बर पर लिया गया रेस्पोडेन्ट क्रम 01 अपने प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हैं अपने दावे में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः दिनांक 04.11.2019 के आदेश को निरस्त करते हुए दावे को एज विड्रोन खारिज किया जावे ।

12. अपीलान्ट ने अपील में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 की प्रति पेश की है जिसमें रामचन्द्र वादी के स्थान पर उनके कायममुकाम छीतर लाल का नाम हिस्सा 8/47 में दर्ज हो चुका है ।

13. परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है और पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 में रामचन्द्र का वादग्रस्त आराजी में 8/47 हिस्सा निहित है । दौराने दावा रामचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है और रामचन्द्र के कायममुकाम की हैसियत से छीतर लाल ने दावे को एज विड्रोन खारिज करवाने की प्रार्थना की है जिसको परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 14.10.2019 को स्वीकार करते हुए दावे को एज विड्रोन खारिज करने के आदेश दिये हैं और इसी आदेशिका में छीतरलाल को रामचन्द्र का कायममुकाम बनाया गया है । इससे पूर्व दिनांक 14.10.2019 की एक अन्य हस्तलिखित आदेशिका है जिसमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और उसको काटा हुआ है । एक अन्य आदेशिका भी दिनांक 14.10.2019 में अंकित है इसमें भी हस्ताक्षर नही किये गये हैं और इसके उपरान्त दिनांक 04.11.2019 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 14.10. 2019 को रिव्यू करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर पत्रावली बहस में नियत की गई है ।

14. अपीलान्ट के द्वारा अपील में एक प्रार्थना पत्र पेश कर रेस्पोडेन्ट क्रम 02 लगायत 10 ने नाम डिलिट करने की प्रार्थना की जिस पर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से अनापत्ति व्यक्त की गई है । ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट क्रम 02 लगायत 10 का नाम डिलीट करने की अनुमति दी जाती है।

15. अपीलान्ट के द्वारा फर्द के साथ एक नकल जमाबन्दी भी पेश की गई है जिसमें छीतर लाल पुत्र रामचन्द्र का हिस्सा 8/47 दर्शाया गया है ।

16. परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र वादी की ओर से छीतर लाल को कायममुकाम बनाने के लिए पेश किया गया है । इसका जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण मंजू नायक एवं शक्ति सिंह जिसमें से शक्तिसिंह अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया है जिसमे यह कथन किया गया है कि वादी के द्वारा कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई है । तथाकथित वसीयत कूट रचित एवं फर्जी है । वादी के 02 पुत्र छीतरलाल, बाबूलाल जीवित हैं 03 पुत्रियॉ और विधवा पत्नी भी जीवित है जो कि उनके कायमुकामान हैं ।

17. परीक्षण न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 14.10.2019 में फौती इंतकाल तस्दीक हो जाने से छीतर लाल को कायममुकामान बनाया है व दावे को एज विड्रोन खारिज करने के आदेश दिये हैं । निर्णय में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है । पूर्व में दिनांक 14.10.2019 की एक आदेशिका पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें वाद विड्रो किये जाने से पूर्व वसीयत की प्रति पेश करने हेतु पत्रावली में 25.10.2019 की तारीख नियत की गई है । इसमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और उससे पूर्व भी दिनांक 14.10.2019 को छीतर लाल को कायममुकामान बनाया जाकर उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावे को एज विड्रोन खारिज किया गया है । इसके बाद इस आदेशिका को काटा गया है ।

18. अपीलाधीन निर्णय के द्वारा परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 14.10.2019 के आदेश को रिव्यू करते हुए प्रकरण में दोनों पक्षों को नोटिस जारी किये जाने एवं बहस हेतु दिनांक 18.11.2019 की तारीख नियत की गई है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने यह कथन किया है कि धारा 229 के अन्तर्गत परीक्षण न्यायालय को Suomoto रिव्यू करने का अधिकार नहीं था और माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आरआरडी 1999 पेज 118 के अनुसार रिव्यू करते समय निर्धारित प्रकिया की पालना नहीं की गई है । माननीय राजस्व मण्डल की नजीर जो कि विद्वान् अभिभाषक के द्वारा उद्वरत की गई है के अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए ही रिव्यू का निस्तारण करना चाहिए । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रिव्यू किया है जो त्रुटिपूर्ण है । हम इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के द्वारा रिव्यू में कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

03/08/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा